

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल दरभंगा-2

कार्यालय आदेश :-

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल दरभंगा-2 के अधीन मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क (एस0सी0) योजना अन्तर्गत Bichala Tola Jagdishpur To Muslim Tola Jagdishpur पथ निर्माण कार्य हेतु संवेदक श्रीमति विनिता चौधरी, W/O- श्री अंजनी कुमार चौधरी, ग्राम+पोस्ट+थाना-नेहरा, जिला-दरभंगा (पिन नं0-847233) (Regd No-2200767 Class-II) के साथ एकरारनामा संख्या-42/SBD/2018-19 दिनांक-25.01.2019 को सम्पादित की गयी थी। एकरारनामा की राशि मो0- 46.84116 लाख मात्र थी। संवेदक द्वारा मूल कार्य दिनांक-30.06.2019 को पूर्ण करने के उपरान्त पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य नहीं किया जा रहा है। पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक-737 दिनांक-26.04.2024 एवं पत्रांक-1021 दिनांक-04.06.2024 साथ ही मौखिक रूप से भी बार-बार निदेशित किया जाता रहा है। लेकिन संवेदक द्वारा अद्यतन पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य नहीं किया गया। ज्ञातव्य हो कि उक्त पथ का अनुरक्षण की जाँच कनीय अभियंता, मनीगाछी द्वारा दिनांक-18.10.2023 को BRRMS App से किया गया जिसमें "U" ग्रेडिंग प्रदान की गई है। सहायक अभियंता, मनीगाछी द्वारा दिनांक-17.12.2023 को BRRMS App से किया गया जिसमें "U" ग्रेडिंग प्रदान की गई है। तदुपरान्त Rectification Module में अंकित होने के कारण पुनः सहायक अभियंता, मनीगाछी द्वारा दिनांक-09.03.2024 को BRRMS App से किया गया जिसमें "SRI" ग्रेडिंग प्रदान की गई है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा भी Rectification Module में अंकित होने के कारण दिनांक-25.04.2024 को BRRMS App से किया गया जिस में "SRI" ग्रेडिंग प्रदान की गई है। उक्त कृत के आलोक में इस कार्यालय का पत्रांक-737 दिनांक-26.04.2024 द्वारा संवेदक से स्पष्टीकरण पूछा गया था कि आप एक सप्ताह के अन्दर पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें अन्यथा आपके विरुद्ध डंडात्मक कार्रवाई प्रारंभ कर दिया जायेगा। इसका भी जवाब आज तक नहीं दिया गया है। और नही तो पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य किया गया है।

तदुपरान्त अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, दरभंगा द्वारा भी Rectification Module में अंकित होने के कारण दिनांक-20.05.2024 को BRRMS App से किया गया जिसमें "U" ग्रेडिंग प्रदान की गई है, साथ ही अपने पत्रांक-1106 दिनांक-31.05.2024 द्वारा लिखित में स्पष्ट निदेश दिये है कि "U" में आवश्यक सुधार नहीं करने के कारण एकरारनामा को विखण्डन करते हुए संवेदक को कालीकृत करना सुनिश्चित करें। उक्त आदेश के आलोक में इस कार्यालय का पत्रांक-1021 दिनांक-04.06.2024 द्वारा संवेदक से स्पष्टीकरण पूछा गया था कि आप तीन दिनों के अन्दर पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें साथ ही साथ 07 दिनों के अन्दर अपना स्पष्टीकरण समर्पित करें कि क्यों नहीं आपके विरुद्ध उक्त कृत के लिए SBD के Clause of Contract की कंडिका-3 अन्तर्गत उप कंडिका-(iv) के तहत एकरारनामा को विखंडित करते हुए कालीकृत करने हेतु उच्चाधिकारी को अनुशंसा कर दिया जाय। इसका भी जवाब आज तक नहीं दिया गया है।

वर्तमान में भी संवेदक द्वारा त्रुटियों का निराकरण करने हेतु कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। अधोहस्ताक्षरी/ सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता के निरीक्षण के दौरान स्थल पर Technical Person एवं



KEY EQUIPMENT भी नहीं पाये गये। इस प्रकार संवेदक द्वारा गनगाने ढंग से अनुसंधान कार्य बंद रखने एवं विभागीय उच्चाधिकारी के आदेश का अवहेलना करने के लिए संवेदक दोषी है, साथ ही त्रुटि निराकरण करने में अक्षम है।

वर्णित स्थिति में क्षेत्रीय अभियंताओं से विमर्शोपरान्त एकरारनामा के प्रावधानों का उलंघन करने के लिए SBD के की कंडिका-03 अन्तर्गत उप कंडिका-(iv) के तहत संवेदक श्रीमति विनिता चौधरी, W/O- श्री अंजनी कुमार चौधरी, ग्राम+पोस्ट+थाना-नेहरा, जिला-दरभंगा (पिन नं०-847233) (Regd No-2200767 Class-II) के साथ सम्पादित एकरारनामा संख्या-42/SBD/2018-19 दिनांक-25.01.2019 को आज दिनांक-14.06.2024 को विखंडित किया जाता है। SBD/ एकरारनामा एवं बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली 2007 तथा अन्य कंडिकाओं के तहत संवेदक के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई अलग से की जायेगी।

ज्ञापांक 1083. /

प्रतिलिपि:- संवेदक श्रीमति विनिता चौधरी, W/O- श्री अंजनी कुमार चौधरी, ग्राम+पोस्ट+थाना-नेहरा, जिला-दरभंगा (पिन नं०-847233) (Regd No-2200767 Class-II) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्र०, दरभंगा-2

दिनांक 14/06/2024

ज्ञापांक 1083. /

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल दरभंगा/ मुख्य अभियंता-6, ग्रामीण कार्य विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्र०, दरभंगा-2

दिनांक 14/06/2024

ज्ञापांक 1083. /

प्रतिलिपि:- कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल दरभंगा, मनीगाछी को सूचनार्थ एवं एक सप्ताह के अन्दर अंतिम मापी करना लेना सुनिश्चित करेंगे।

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्र०, दरभंगा-2

दिनांक 14/06/2024

ज्ञापांक 1083. /

प्रतिलिपि:- प्रमण्डलीय लेखा पदाधिकारी/ रोकड़पाल, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-2 को आदेश दिया जाता है कि इनके जमानत/ अमानत की राशि को जब्त करते हुए नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्र०, दरभंगा-2

दिनांक 14/06/2024

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्र०, दरभंगा-2

दिनांक 14/06/24

0/L